फर्द अहकाम

(नियम 26)

विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/434 बअनवान मांगीलाल वगैरा बनाम पन्नाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित। राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी पर वकील प्रार्थी श्री हिम्मत धनेरा व राज पेरोकार की बहस सुनी गई। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि ग्राम मालनू के खसरा नंबर 651 रकबा 0.68 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत घोषणा खातेदारी, विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस भूमि के वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना ज्ञात है। जिससे प्रार्थीगण के चाहे अनुतोष अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि बाबत प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	